न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2017/00097 (63/2017) दायरा दिनांक : 17.04.2017

उनवान

रामरतन पुत्र श्री हीरालाल, जाति धाकड़, निवासी बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राजस्थान)

.... अपीलांट

बनाम

1– चौथमल पुत्र भैरूलाल, जाति धाकड़, निवासी बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राजस्थान)
2– कजोड़ीबाई पुत्री भैरूलाल, जाति धाकड़, निवासी बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राजस्थान)
3– कलावती बाई पुत्री भैरूलाल, जाति धाकड़, निवासी बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राजस्थान)
4– ग्यारसीबाई बेवा भैरूलाल, जाति धाकड़, निवासी बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राजस्थान).
5– रामू बाई पुत्री भैरूलाल, जाति धाकड़, निवासी बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राजस्थान) (मृतक)
5/1–जगदीश पुत्र रामूबाई पत्नी भंवरलाल, जाति धाकड़, निवासी बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राजस्थान)
5/2–नवल पुत्र रामूबाई पत्नि भंवरलाल, जाति धाकड़, निवासी बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राजस्थान)
5/3–भगवती पुत्री रामूबाई पत्नि भंवरलाल, जाति धाकड़, निवासी बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राजस्थान)
6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडोद, जिला बारां (राजस्थान)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 16.05.2025

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 28/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 291 रकबा 32 बीघा, खसरा नं. 530 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 531 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं. 532 रकबा 2 बीघा, खसरा नं. 533 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 559 रकबा 2 बिस्वा, कुल 8 किता कुल रकबा 41 बीघा 3 बिस्वा भूमि माल बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून, न्याय सम न्याय एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 4 वादीगण ने एक वाद पेश कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 32 बीघा, खसरा नम्बर 530 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 531 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 532 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 533 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 559 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 590 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 602 रकबा 16 बिस्वा कुल 8 किता कुल रकबा 41 बीघा 3 बिस्वा भूमि गाम बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद में स्थित है । उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी की अविभक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है। अमरलाल के 3 बेटे हीरालाल, कान्हा, भैरू थे, हीरालाल का बेटा रामरतन थे, कान्हा लाऔलाद फौत हो गया है। चौथमल पुत्र व 3 पुत्रियां रामबाई, कजोड़ी, कलावती बाई व पत्नी ग्यारसीबाई भैरूलाल के वारिस है। उक्त वंशावली के आधार पर विवादित आराजी में अपना 1/4 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी हैं। वादी/रेस्पोडेंट अपना हिस्सा बेचान कर चुके हैं केवल मात्र 2 बीघा भूमि शेष बची है तथा पुनः बिन किसी आधार एवं अधिकार के विवादित आराजी 41 बीघा 3 बिस्वा में हिस्सा मांगने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात विरचित की और तनकीयात अनुसार विवेचन करते हुए सभी तनकीयात का निर्णय सर्वथा विधि विरूद्ध एवं स्वैच्छिक रूप से किया है जिसका दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से कोई सरोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करते हुए मनमाने तौर पर वाद का पुनः निर्णय कर दिया जो सर्वथा विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में गलत रूप से निर्णीत की तथा तनकी नम्बर 2 व 3 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत कर दी, तनकी नम्बर 4 वादीगण के पक्ष में निर्णीत करने में त्रुटि की है। राजस्व रेकार्ड में अपीलांट रामरतन बहैसियत मुतबन्ना दर्ज है ऐसी स्थिति में उसके मुतबन्ना अथवा दत्तक पुत्र होने बाबत किसी प्रकार की आपत्ति उठाने को वादी रेस्पोडेंट सक्षम नहीं थे। अपीलांट 74 वर्षीय वृद्ध है, बचपन में उसे कान्हा ने गोद लिया था यह तथ्य लगभग 65–70 वर्ष पुराना है जिसके बाबत अब रेस्पोडेंट/वादी को उज्र उठाने का कोई अधिकार शेष नहीं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रहता है। वादीगण राजस्व रेकार्ड में जब खातेदार ही नही है ऐसी स्थिति में वह न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता पाने के अधिकारी नहीं थे। धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रश्न है, बिना कब्जा वादीगण वाद लाने के अधिकारी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने गवाहान का कोई विवेचन नहीं किया है, इसके विपरीत वादी के पक्ष में सम्पूर्ण निर्णय प्रतिवादी की साक्ष्य के आधार पर पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये।

4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांढ ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि सीताराम के दो पुत्र अमरलाल व गोमदा थे जिनका वादग्रस्त आराजी में 1/2, 1/2 हिस्सा था। अमरलाल के दो पुत्र हीरा व भैरू हुए जिनका वादग्रस्त आराजी में 1/4, 1/4 हिस्सा था। भैरू के चौथमल पुत्र, ग्यारसीबाई बेवा, रामबाई, कजोडी व कलावती बाई पुत्रियां हुई। हीरा के एक पुत्र रामरतन हुआ जिसका वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा था। गोमदा के एक पुत्र कान्हा हुआ उसका वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा था कान्हा लाऔलाद फौत हुआ उसने रामरतन को गोद रख लिया इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में रामरतन का 1/4 + 1/2 हिस्सा हुआ। सैटलमेंट द्वारा वादग्रस्त आराजी में गोमदा का 1/2 से 1/3 हिस्सा कर दिया गया। कान्हा की सम्पूर्ण आराजी रामरतन को मिली, पिता हीरा की 1/4 व कान्हा की 1/2 आराजी प्राप्त हुई। भैरू ने कोई आपत्ति नहीं की। भैरू के चौथमल पुत्र, ग्यारसीबाई बेवा, रामबाई, कजोडी व कलावती बाई पुत्रियों ने आपत्ति की है कि रामरतन गोद नहीं था। अतः हमारा कान्हा की आराजी में हिस्सा है। चौथमल ने जो दावा किया वह डिक्री हुआ जिसकी अपील आर.ए.ए.कोर्ट में दिनांक 05.12.2012 को निर्णित हुई। दावा रिमाण्ड हुआ, सुनवाई बाद दावा स्वीकार किया गया उसकी अपील है। दावे में सजरा गलत बनाया गया है। हमने जवाबदावे में सही सजरा दर्शाया है। विवाद ज्यादा होने पर आराजी रिसीवरी में चल रही थी। अपील के दौरान ही रिसीवरी हटा दी। हमें 80 सी.पी. सी. का नोटिस नहीं दिया गया। हमने काउंटर क्लेम पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय से कान्हा की आराजी में रामरतन के साथ भैरू के वारिसान को भी हिस्सा दिया है, जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियों का विधि सम्मत विवेचन नहीं किया है। सैटलमेंट दुरूस्ती नहीं की है, दस्तावेजों के विपरीत निर्णय पारित किया है अतः अपील खारिज की जावे व काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2010–2013 ग्राम बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद एक्जीविट डी 5 के अनुसार विवादित आराजी कुल किता 8 कुल रकबा 96.12 बीघा आराजी कान्हा बेटा गोमदा हिस्सा 1/2, हीरा, भैरू बेटे अमरा हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है। इस जमाबंदी से यह स्पष्ट हो जाता है कि गोमदा का पुत्र कान्हा था एवं अमरा के दो पुत्र हीरा और भैरू थे। नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2013 से 2032 ग्राम बमोरी घाटा, तहसील छीपाबडोद एक्जीविट डी 6 के अनुसार कुल किता 9 कुल रकबा 63.17 बीघा भूमि कान्हा पुत्र गोमदा, हीरा, भैरू पुत्र अमरा हिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। बन्दोबस्त खतौनी तैयार करते समय खातेदारान कान्हा पुत्र गोमदा हिस्सा 1/2, हीरा, भैरू पुत्र अमरा हिस्सा 1/2 दर्ज होना चाहिए था, जबकि काना पुत्र गोमदा व हीरा, भैरू पुत्र अमरा हिस्सा बराबर दर्ज हुआ। काना के 1/2 हिस्से के बाद शेष 1/2 भूमि में हीरा का 1/4 व भैरू का 1/4 हिस्सा बनता है परन्तु बन्दोबस्त खतौनी संवत 2013 से 2032 के बाद की सभी जमाबंदी में काना, भैरू, हीरा का हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 दर्ज हुआ है, जो नकल जमाबंदी संवत 2010 से 2013 के अनुसार दुरूस्त होने योग्य है। अपीलांट प्रतिवादी रामरतन ने अपने काउंटर क्लेम में काना व हीरा का हिस्सा दुरूस्त कर काना का हिस्सा 1/2 व हीरा का हिस्सा 1/4 दर्ज करने का अनुतोष चाहा है।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में तनकी नं. 4 के विवेचन के पश्चात यह अंकित किया है कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के खातेदारी की थी। जिसमें काना का 1/2 हिस्सा तथा हीरा, भैरू का 1/2 हिस्सा था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में खातेदारों के हिस्से दुरूस्त करने का कोई आदेश पारित नहीं किया। इसके विपरीत सीधे ही प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज करते हुए वादीगण को 1/4 आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया है। यदि वादीगण का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा बनता है, तो शेष आराजी के सन्दर्भ में स्पष्ट आदेश होना आवश्यक है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में आराजी मूल खातेदारा काना, हीरा व भैरू के वारिसान में 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से के अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

11. सन्दर्भित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नहीं होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2017 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा नं. 9 व 10 में किये गये विवेचन के आधार पर पुनः रिकॉर्ड की जॉच कर अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2025 को उपस्थित होवे।

13. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा